न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः— 22/2021

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. दमाराम पुत्र सामाराम		1. प्रहलादराम पुत्र कुम्बाराम
2. जेठाराम पुत्र कुम्बाराम		2. बांकाराम पुत्र कुम्बाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र दमाराम		3. चुनीदेवी पत्नी सामाराम
4. गिरधारीसिंह पुत्र दमाराम		4. गोमाराम पुत्र राजा
5. भारूराम पुत्र दमाराम		5. मानाराम पुत्र राजा
6. रेखाराम पुत्र दमाराम		6. व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर
7. केसीदेवी पत्नी दमाराम		7. व्यवस्थापक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सांचौर
8. अनीता पत्नी ओमप्रकाश		8. व्यवस्थापक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डूंगरी
9. कमला देवी पत्नी गिरधारीसिंह		9. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना
10. रतनी देवी पत्नी भारूराम		10. भारमलराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी डेला (डूंगरी) तहसील चितलवाना जिला सांचौर
11. लक्ष्मीदेवी पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी डेला (डूंगरी) तहसील चितलवाना		

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955</u>

उपस्थितः:—

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पूनीया।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 एवं 10 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई।
3. अप्रार्थीगण संख्या 6 से 9 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 03/11/2023

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण दमाराम व जेठाराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 दमाराम के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भू[illegible] पटवार हल्का डूंगरी मे खेत खसरा संख्या 352 [illegible] 2.30 [illegible] र व प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी भूमि ग्राम डेला पटवार हल्का डूंगरी के [illegible] 1041 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा संख्या 1042 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा संख्या 1048 रकबा 0.03 हैक्टर के आये हुए है। जिसमे प्रार्थीगण की [illegible]णी, कुआ स्थित है। उक्त खेत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त का आया हुआ है। प्रार्थीगण को उक्त खेत मे आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम डेला के खसरा संख्या 1031

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

रकबा 4.72 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम मे से 0.07 हैक्टर, खसरा संख्या 1034 रकबा 5.78 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम मे से 0.12 हैक्टर, खसरा संख्या 1039 रकबा 5.15 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम मे से 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 1040 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम मे से 0.02 हैक्टर जुमले रकबा 0.29 हैक्टर भूमि 4 मीटर चौड़े रास्ते की निकटतम रूट से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त खेत मे काश्त करने मे आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण को अप्रार्थीगाण की खातेदारी भूमि मे से 0.29 हैक्टर भूमि 4 मीटर चौड़े रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे संलग्न नक्शे परिशिष्ट 'अ' मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थीगण की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर अपनी आराजी पर जाने के लिये नवीन रास्ता कायम कर प्रदान किया जावे। इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार भुगतान हेतु तैयार है।

2. प्रत्युत्तर मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने ईकबाली जवाब पेश किया कि हम पक्षकारो के मध्य लोक अदालत की भावना से, स्वैच्छा से राजीनामा हो गया है एवं प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये लम्बाई व 4 मीटर लम्बाई का रास्ता देने के लिये हम सहमत है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, संलग्न नक्शेनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। उक्त रास्ते की भूमि हम अप्रार्थीगण को भी आवागमन हेतु भी सुविधा रहेगी। उक्त रास्ते बाबत हम अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि बाबत भी कोई आपत्ति नही है। हमे आवेदित भूमि की प्रतिकर राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त आवेदित स्थान के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हमारी खातेदारी भूमि मे से कम कर रास्ता दिया जाता है तो हम अप्राथीगण को कोई उजर एतराज नही है व न ही रहेगा।

3. उभयपक्ष की सहमति से इस बारे मे मौके वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार चितलवाना से तलब की गयी। तहसीलदार चितलवाना ने उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौके की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल फाईल किया गया।

4. प्रार्थीगण द्वारा आवेदन बाबत मूल प्रार्थना पत्र को संशोधन करने एवं अप्रार्थी व प्रार्थी पक्षकार संयोजित करने की अनुमति का पेश कर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण ने दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 मे रास्ता प्राप्ति का आवेदन पेश किया था, जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा होकर न्यायालय द्वारा सत्यापित [illegible] किया गया। तत्पश्चात् उक्त रास्ता आगे सरकारी रास्ते से [illegible] से जोड़ता था। इस कानूनी अड़चन के कारण निस्तारण नही हो सका, जिस [illegible] के खसरा संख्या 1052 मे से अप्रार्थी संख्या 10 भारमल पुत्र ला[illegible]राम रास्ता देने पर सहमत होने से इन्हे पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त सड़क से जुड़ने के लिए प्रार्थी जेठाराम व प्रहलादराम, बांकाराम के खातेदारी खेत के खसरा संख्या 1041 मे से रास्ता देने के लिए सहमत व तैयार है। इस प्रकार खसरा संख्या 1041 मे से रास्ता देने के लिए सहमत व तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

संख्या 1041 1052 मे से रास्ता दिये जाने से खसरा संख्या 1057 की सड़क की भूमि दूठवा सीमा मे आगे डूंगरी सरहद मे भारतमाला परियोजना सड़क को जोड़ता है। जिससे उक्तानुसार संशोधन करना आवश्यक है। मौजा जालबेरी के खेत खसरा संख्या 952 मे दमाराम की जगह अनीता पत्नी ओमप्रकाश, कमलादेवी पत्नी गिरधारीसिंह, रतनी देवी पत्नी भारूराम, लक्ष्मीदेवी पत्नी रेखाराम जातियान जाट निवासीगण डेला (डूंगरी) के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी है तथा मौजा डेला पटवार हल्का डूंगरी के खेत खसरा संख्या 1034 रकबा 5.78 हैक्टर प्रकरण प्रस्तुतिकरण के वक्त चुनीदेवी व दमाराम खातेदार थे, जो वर्तमान जमाबंदी अनुसार ओमप्रकाश पुत्र दमाराम, केसीदेवी पत्नी दमाराम, गिरधारीसिंह पुत्र दमाराम, भारूराम पुत्र दमाराम, रेखाराम पुत्र दमाराम जातियान जाट, निवासीगण डेला (डूंगरी) खातेदार दर्ज है। जिससे जिससे इन्हे सुनवाई हेतु एंव हितबद्व व महत्वपूर्ण पक्षकार होने से प्रार्थी पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। जिसमे चुनीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड मे हट जाने से इन्हे तर्क किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रकरण प्रकरण मे दमाराम व चुनीदेवी की जगह आए खातेदारो को जमाबन्दी के दर्ज खातेदार को प्रार्थी पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है तथा सरकारी पक्की सड़क को जोड़ने हेतु खसरा संख्या 1041 के खातेदार पूर्व मे अप्रार्थी पक्षकार संयोजित है तथा खसरा संख्या 1052 के खातेदार पूर्व से संयोजित नही होने से इन्हे अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार उक्त आवेदन को संशोधन करने से दोनो पक्षो को न्यायिक उद्वेश्य की प्राप्ति होगी एवं तरह–तरह की मुकदमेबाजी व प्रकरण की बहुलता से निजात मिलेगी। जिससे न्यायहित मे अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत सहमति जाहिर की। अतः दोनो अधिवक्ताओ की सहमति पर प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र संशोधित एवं पक्षकार संयोजित करने का स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम जालबेरी मे खसरा संख्या 352 तथा ग्राम डेला के खेत खसरा संख्या 1041, 1042, 1043 मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम डेला के खसरा संख्या खसरा संख्या 1031 रका 4.72 हैक्टर मे से 0.07 हैक्टर, खसरा संख्या 1034 रका 5.78 हैक्टर मे से 0.12 हैक्टर, खसरा संख्या 1039 रकबा 5.15 हैक्टर मे से 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 1040 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 1041 रकबा 1.04 हैक्टर मे से 0.07 हैक्टर, खसरा संख्या 1052 [illegible] 0.03 हैक्टर कुल रकबा 0.39 हैक्टर भूमि 4 मीटर चौड़े रास्ते की [illegible] श्यकता है। जिसे संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' लाल [illegible] प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने का तैयार है। अतः [illegible] रास्ता की भूमि को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर नवीन रास्ता कायम करने का [illegible] देश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:39 IST
Reason: SelfAttested

6. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 10 द्वारा ईकाबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई तथा संलग्न नक्शेनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नही की है तथा प्रतिकर राशि प्राप्त होना बताया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

7. उभयपक्षकारान मय अधिवक्ता द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में संशोधित प्रार्थना पत्र के अनुसार हम पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से स्वेच्छा से राजीनामा हो गया है। राजीनामा अनुसार सभी पक्षकार रास्ते की भूमि पर एक–दूसरे की आवागमन मे बाधा कारित नही करेगे तथा न ही रास्ता कभी कोई पक्षकार अवरूद्व करेगे। अतः उक्त अनवान प्रकरण मे राजीनामा सत्यापित फरमावे तथा राजस्व रेकर्ड मे रास्ता अमल दरामद करने का आदेश फरमावे।

8. उभयपक्षकारान मय अधिवक्ताओ की उपस्थिति मे प्रस्तुत राजीनामा बाद जांच, अवलोकन सत्यापित किया गया। तहसीलदार चितलवाना से मौका की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चितलवाना द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल किया गया।

9. अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 8 नोटिस तामिल के उपरान्त अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही लाई गयी।

10. उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस का श्रवण किया।

11. उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर प्रस्तावित नक्शा अनुसार रास्ता देने बाबत सहमत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

फलतः उक्त प्रमाणित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि ग्राम जालबेरी के खसरा संख्या 352, ग्राम डेला के खसरा संख्या 1041, 1042, 1043 मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम डेला के खसरा संख्या 1031 मे से 0.06 हैक्टर, खसरा संख्या 1034 मे से 0.13 हैक्टर, खसरा संख्या 1039 मे से 0.06 हैक्टर, खसरा संख्या 1040 मे से 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 1041 मे से 0.07 हैक्टर, खसरा संख्या 1052 मे से 0.03 हैक्टर भूमि संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' राजीनामा अनुसार 4 मीटर चौड़ा नवीन रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। सम्बधित बैंको का रहन यथावत रहेगा। उपरोक्त भूमि का 4 मीटर चौड़ा रास्ता के अलावा कोई अन्य उपयोग नही किया जायेगा। उभयपक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त मे आवागमन मे किसी प्रकार की बाधा व दखलन्दाजी नही करेगे। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:39 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमाना राम, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 03/11/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना